	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 29, शुक्रवार, *शाके 1946*-सितम्बर 20, *2024*	
	Bhadra 29, Friday, Saka 1946- September 20, 2024	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 02, 2024

एस.ओ.67 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.2(32)वित्त/कर/2018-96 दिनांक 13.08.2024का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

जसवंत सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 13, 2024

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लो कहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है किहाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्टकॉर्पोरेशनलिमिटेड (हडको) द्वारा राजस्थान जल-प्रदाय तथा सीवरेज निगम, जयपुर (आरडब्ल्यूएसएससी) के पक्ष में 1576.78 करोड़ रूपये के ऋण के लिए निष्पादित किये जाने वाले ऋण करार की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

सं. एफ.2(32)वित्त/कर/2018-96

राज्यपाल के आदेश से,

जसवंत सिंह,

संयुक्त शासन सचिव''

Government Central Press, Jaipur.